

पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि०

(भारत सरकार का उद्यम)

POWER GRID CORPORATION OF INDIA LTD

(A government of India Enterprise)



765/400 के०वी० जी० आई० एस० उपकेन्द्र निर्माण कार्यालय उरई, 3461 क्षीर सागर बिल्डिंग डॉ. खट्टर क्लिनिक के सामने पटेल नगर उरई
जिला-जालौन(उ०प्र०) पिन-285001 दूरभाष-05162250031,

765/400 kV GIS Substation Orai, 3461 KSHEER SAGAR BUILDING INFRONT OF Dr. KHATTAR CLINIC, PATEL NAGAR ORAI DISTT-
JALAUN(UP)PIN 285001 Phone- 05162250031 E-mail ID - pgcilorai@gmail.com

सन्दर्भ उ० क्षे०-3/उरई/वनविभाग/

दिनांक: 02.01.2017

सेवा में

उप वन संरक्षक,
सामाजिक वानिकी प्रभाग,
जिला: जालौन(उरई) (उ०प्र०)

विषय: पावरग्रिड द्वारा निर्माणाधीन 765 के०वी० डी०सी० उरई-अलीगढ़ पारेषण लाईन (पार्ट-1) पैकेज टी०ई-06 पारेषण लाईन को वन भूमि के उपर से निकालने तथा 0.268 हे० वन भूमि हस्तांतरण एवं प्रभावित 05 वृक्षों के पातन की अनुमति के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ: FP/UP/TRANS/21318/2016/, Transmission Line 765kV Orai-Aligarh.

महोदय,

पावरग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लि० 765 के०वी० डी०सी० उरई-अलीगढ़ पारेषण लाईन (पार्ट-1) पैकेज टी०ई-06 पारेषण लाईन का निर्माण कर रहा है जोकि रेलवे / नहर / सड़क / को कास कर रहा है। इसमें जालौन वन विभाग की कुल 0.268 हे० वन भूमि 05 वृक्ष प्रभावित हो रहे हैं उक्त भूमि के उपर से लाईन निकालने एवं प्रभावित 05 वृक्षों के पातन तथा दुगने अवकम वन क्षेत्रों के क्षेत्र फल पर क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण करने का प्रस्ताव 05 प्रतियों में अनुमति प्रदान करने हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है। इस प्रस्ताव के भाग-1 को ऑनलाईन जमा करके नोडल अधिकारी लखनऊ से पावती प्राप्त कर ली गई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त वन भूमि के उपर से 765 के०वी० डी०सी० उरई-अलीगढ़ पारेषण लाईन (पार्ट-1) पैकेज टी०ई-06 पारेषण लाईन को निकालने तथा 0.268 हे० जालौन वन विभाग की वन भूमि हस्तांतरण एवं 05 वृक्षों के पातन करने हेतु भारत सरकार से सैद्धांतिक अनुमोदन हेतु ऑनलाईन प्रस्ताव भरकर नोडल अधिकारी लखनऊ को अग्रेसर करने की कृपा करें।

राष्ट्रहित के लिए निर्मित की जा रही परियोजना को निर्धारित समय सीमा के अर्न्तगत पूर्ण किये जाने हेतु आपका सहयोग अपेक्षित है।

(पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इंडिया लि० के लिए एवं की ओर से)

मुख्य प्रबन्धक (उपकेन्द्र / लाईन निर्माण)

पावरग्रिड, उरई उ०प्र०

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार

Government of Uttar Pradesh
Office of the District Collector
Jalaun

No.....562.....

Date: 18.01.17

TO WHOM IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forest (MOEF), Government of India's letter ref. no. 11-09/98 - FC (Pt) dated 28th October 2014, it is certified 0.268 Hectares of forest land proposed to be diverted in favour of POWERGRID CORPORATION OF INDIA LTD (A Govt. of India Enterprise). For construction of 765kV Orai-Aligarh D/C Part-1 Transmission Line for diversion of forest land in Jalaun District falls within jurisdictions of Chawanpura, In Orai tehsil and Chhiriya salempur in Jalaun tehsil.

It is further certified that the forest land proposed to be diverted is plantation which was notified as "forest" less than 75 years prior to the 13th day of December 2005 and is located in village having no recorded population of scheduled tribes, as per the census - 2001 and 2011.

Chief Manager (SS/TL-const.)

योगेश कुमार शर्मा
POWERGRID Orai
YOGENDRA KUMAR SHARMA
मुख्य प्रबंधक/CHIEF MGR
पावर ग्रिड, उरई
POWER GRID, ORAI

Dy. Conservator of forest

जालौन जिला वन विभाग, वन प्रभाग
Orai/Jalaun
उरई (जालौन)

District Magistrate

Jalaun

(संदीप कौर)

जिलाधिकारी, जालौन।